| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>01/2021 मोटाराम बनाम निहाल सिंह व अन्य | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/03/21 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप०। रेस्पो. सं० 2 से 7 के नोटिस बाद तामील तथा रेस्पो. सं० 1 का नोटिस लेने से इन्कार रिपोर्ट प्राप्त। शा.का. रहे। तलब किया/जारी शा.का. रहे। रेस्पो. सं० 1 की ओर से श्री राजेश [illegible] एड. ने वकालतनामा पेश किया। शा.का. रहे। रेस्पो. सं० 7 की ओर से श्री चन्द्रशेखर [illegible] राजकीय अधिवक्ता उप०। रेस्पो. सं० 2 से 6 बावजूद तामील अनु०। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/03/21 को पेश हो।<br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |
| 17/03/21 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उप०। वकील रेस्पो. सं० 1 उप०। GA उप०। वकील अपीलांट ने बहस हेतु समय चाहा। अत: पत्रावली पेशी आईन्दा वास्ते बहस दिनांक 24/03/21 को पेश हो।<br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |
| 24.03.21 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.03.21 को पेश हो।<br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |
| 31.03.21 | पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.04.21 को पेश हो। | |
| 19.04.21 | पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर विवादित भूमि ख.नं. 212 (0.01 हे.), ख.नं. 213 (0.02 हे.), ख.नं. 214 (2.40 हे.) तथा ख.नं. | |

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 01/2021 मोटाराम बनाम निहालसिंह | |
| | 353 (4.19 है.) तन ग्राम कसनाली की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.12.2019 व दिनांक 16.03.2020 के अनुसार करवाये जाने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना पत्र में अपीलांट को अप्रार्थी सं 01 एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 07 को अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 पारित कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त आदेश दिनांक 29.10.2020 के विरुद्ध यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। | |
| | 2- अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता राजेश केहूला उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 07 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। | |
| | 3- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। | |
| | 4 अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के लगते ही अपीलांट की खातेदारी भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि का सीमाज्ञान उनके समक्ष नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई है तथा पत्रावली को नियत पेशी से पूर्व ही तलब की जाकर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को एकतरफा सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने से महरूम रह गया है। अतः अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत | |

[signature] अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01/2021 | मोताराम / निहाल सिंह | |

धारा 5 के समर्थन में कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा में तथा अपीलांट को सुने बगैर पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.12.2020 को हुई है तथा जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है अतः विलम्ब का शमन किया जाये। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा उपरोक्त कथन कर अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 अपास्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

5. अधिवक्तागण रेस्पोण्डेन्टस द्वारा अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की खातेदारी भूमि है तथा नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित करवाये गये हैं। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किसी भी तरह से प्रभावित व पीड़ित नहीं है तथा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल नहीं है। अतः अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाये।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.09.20 की आदेशिका में आगामी पेशी दिनांक 25.11.20 नियत की गई है। तत्पश्चात् प्रार्थी / रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 27.10.20 को पत्रावली पेशी में ली गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को उक्त शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पर कोई तलबी नोटिस जारी किये बिना ही अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 01/2021 मोतीराम बनाम निहाल सिंह | |
| | अमल में लाये जाने के आदेश पारित करते हुए वकील प्रार्थी की बहस दिनांक 27.10.20 को सुनी जाकर दिनांक 29.10.20 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया है तथा उसे सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है तथा अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। | |
| 7. | अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.2020 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः न्यायोचित आदेश पारित किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रति सहित लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |
| 8. | निर्णय आज दिनांक 19.04.2021 को सुनाया गया। | |
| | (हस्ताक्षर)<br>अतिरिक्त संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |

Scanned by CamScanner

01/2021

न्यायालय– अति० संभागीय आयुक्त जयपुर

मोटाराम आयु 83 वर्ष पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

–अपीलान्ट

बनाम

(1)–निहाल सिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

(2)–चुन्नीलाल पुत्र गोविन्दाराम<br>
(3)–बीरबल पुत्र लक्ष्मण<br>
(4)–रामनिवास पुत्र लक्ष्मण<br>
(5)–हरलाल पुत्र लक्ष्मण<br>
(6)–सुनिता पत्नी ओमप्रकाश

} समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भैरूपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

(7)–तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील अं0धारा 75(बी) एल.आर.एक्ट विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांकित 25/10/2020 बउनवानी निहाल सिंह बनाम मोटाराम अन्तर्गत मुकदमा सं0 22/2020 अन्तर्गत धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम।**

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि:–

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अधिनरथ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके कब्जे,काश्त एवम् खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 212 रकबा 0.01 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 213 रकबा 0.02 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 214 रकबा 2.40 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 353 रकबा 4.19 हैक्टेयर वज ग्राम कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर

Scanned by CamScanner